भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1348

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कैफेटेरिया योजना)

1348. श्री के गोपीनाथ:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कैफेटेरिया योजना) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, नवाचार और कृषि-उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) को वर्ष 2022-23 से कैफेटेरिया योजना के रूप में पुनर्संरचित किया गया है जिसमें कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) घटक, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) सहित कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), सायल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को शामिल किया गया है। योजना घटकों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। योजना का वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% केंद्रीय हिस्सा है। वर्तमान 15वें वित्त आयोग की 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान पीएम-आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए 36128.13 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस योजना में राज्य का कुल हिस्सा 20946.60 करोड़ रुपये है।

इस योजना के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग): आरकेवीवाई के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है। 5 नॉलेज पार्टनर (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और इनक्यूबेट प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। यह नामित केपी और आरएबीआई के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रदान की जाती है। "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के तहत 2019-20 से 2024-25 तक विभिन्न केपी और आर-एबीआई के माध्यम से 1749 कृषि स्टार्टअप्स को 124.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

अनुबंध- I

पीएम-आरकेवीवाई के निम्नलिखित घटक हैं:

1. डीपीआर आधारित घटक।
2. वार्षिक कार्य योजना (एएपी) घटक।

1. डीपीआर आधारित घटक:

इसका उद्देश्य आवश्यक पूर्व और फ़सलोपरांत एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच बढ़ जाती है। यह राज्य सरकार को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कृषि में गतिविधि को प्राथमिकता देने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करता है।

2. वार्षिक कार्य योजना (एएपी) घटक:

(i) प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी):

इसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, यह सूक्ष्म सिंचाई के लिए जल स्रोत निर्माण के पूरक के रूप में अन्य हस्तक्षेपों के रूप में सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण, जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों आदि की भी सहायता करती है।

(ii) फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम):

इसका उद्देश्य कस्टम हायरिंग मॉडल और फार्म मशीनरी बैंकों को बढ़ावा देना और उनका आधुनिकीकरण करना है, जिसमें खेत स्तर पर फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन शामिल है। धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए बायोमास की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने सहित इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन विकल्पों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन की सतत पद्धतियों को बढ़ावा देना।

(iii) सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ):

इसका उद्देश्य सॉयल हेल्थ और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना है।

(iv) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):

इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना है, ताकि दीर्घकालिक मृदा उर्वरता सुनिश्चित हो सके, संसाधन संरक्षण हो सके और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके।

(v) वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी):

इसका उद्देश्य बहु-फसल, चक्रीय फसल, अंतर-फसल, मिश्रित फसल पद्धतियों के साथ बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि संबद्ध गतिविधियों पर जोर देते हुए एकीकृत कृषि

प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देना है, ताकि किसान वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।

(vi) कृषि वानिकी:

इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रमाणन प्रदान करना है।

(vii) फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी):

इसका उद्देश्य वैकल्पिक फसलों की बेहतर उत्पादन तकनीक को बढ़ावा देकर भारी मात्रा में बायोमास उत्पन्न करने वाली तथा कम पोषक तत्वों की खपत करने वाली फलीदार फसलों की खेती के माध्यम से सॉयल की उर्वरता को बहाल करना है। इसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम (तम्बाकू प्रतिस्थापन) भी 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि तम्बाकू उत्पादक किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अनुबंध- II

पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत 2022-23 से 2023-24 के दौरान राज्य-वार रिलीज (केंद्रीय हिस्सा)

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	318.56	205.98
2	अरुणाचल प्रदेश	33.21	82.41
3	असम	204.50	300.18
4	बिहार	43.83	94.64
5	छत्तीसगढ़	149.96	162.41
6	गोवा	4.69	4.05
7	गुजरात	185.23	404.04
8	हरियाणा	384.84	204.70
9	हिमाचल प्रदेश	15.55	16.12
10	झारखंड	34.45	46.57
11	कर्नाटक	357.93	761.87
12	केरल	130.88	28.26
13	मध्य प्रदेश	180.67	258.55
14	महाराष्ट्र	487.32	255.06
15	मणिपुर	38.92	59.74
16	मेघालय	1.69	28.70
17	मिजोरम	30.57	49.39
18	नागालैंड	128.00	188.33
19	उड़ीसा	43.32	222.05
20	पंजाब	282.58	136.63
21	राजस्थान	314.32	180.97
22	सिक्किम	66.48	146.41
23	तमिलनाडु	398.92	694.65
24	तेलंगाना	33.22	0.00
25	त्रिपुरा	70.63	92.79
26	उत्तर प्रदेश	671.58	595.15
27	उत्तराखंड	199.88	71.35
28	पश्चिम बंगाल	189.91	254.60
	कुल राज्य	**5001.65**	**5545.58**
29	अंडमान और निकोबार	0.00	1.62
30	जम्मू और कश्मीर	4.82	26.42
31	लद्दाख	0.50	4.14
32	पुडुचेरी	5.08	0.65
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**10.40**	**32.83**
कुल योग		**5012.05**	**5578.40**

*****